RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २६] शुक्रवार, जुलै १७, २०१५/आषाढ २६, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानपरिषद में दिनांक १७ जुलाई २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक, महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ११३ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. C. BILL No. X OF 2015.

A BILL
TO AMEND THE MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION ACT, 1981.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक १०, सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ में संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

सन् १९८१ का महा. ५४। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ८।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ में संशोधन करने के लिए सद्य: कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये, महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

(२) यह १ जून २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९८१ का महा. ५४ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९८१ का महा. ५४।

(झ) " रजिस्ट्रीकरण अधिकारी " का तात्पर्य, मत्स्य उद्योगों के सहायक आयुक्त से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे क्षेत्र में इस अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसपर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसपर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित होगा ;"। सन् १९५८ का ४४।

सन् १९८१ का महा. ५४ की धारा १३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १३ की, उप-धारा (१) में, " राज्य पत्तन संगठन का मुख्य पत्तन अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " मत्स्योद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ८ का निरसन और व्यावृत्ति ।

४. (१) महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ८ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य के समुद्री किनारों समेत समुद्र में जहाज से मछुवाही के विनियमन के लिये, महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ (सन् १९८१ का महा. ५४) अधिनियमित किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा २ के खण्ड (ङ) में, " अनुज्ञापन अधिकारी " पद और खण्ड (झ) में " रजिस्ट्रीकरण अधिकारी " पद परिभाषित किया गया है । राज्य पत्तन संगठन में अनुज्ञापन अधिकारी, सहायक मछुवाही विकास अधिकारी था और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक अधिकारी या सेवक था, अर्थात् महाराष्ट्र समुद्री, बोर्ड किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये प्रमुख पत्तन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाता था । अतः मछुवाही जहाज के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी और मछुवाही के लिये ऐसे मछुवाही जहाज के उपयोग के लिये अनुज्ञप्ति, महाराष्ट्र सरकार के दो विभिन्न विभागों के दो विभिन्न प्राधिकारियों को समनुदेशित की गई थी ।

२. देश के समुद्री किनारों में आतंकवादी आशंका की पार्श्वभूमी पर, तटीय सुरक्षा की सुनिश्चिति के लिये, संपूर्ण देश में अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में एकरुपता रखना आवश्यक है, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि, मछुवाही जहाजों के अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण, एकल प्राधिकरण अर्थात् राज्य मत्स्यउद्योग विभाग द्वारा किया जाना चाहिए ।

केंद्र सरकारने दिनांकित १४ अगस्त २०१४ की अधिसूचना द्वारा, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का ४४) की धारा ४३५घ के प्रयोजन के लिये महाराष्ट्र में पत्तन घोषित किये है और धारा ४३५ड़ के प्रयोजन के लिये भारतीय मछुवाही नौकाओं के रजिस्ट्रार के रुप में मत्स्यउद्योग सहायक आयुक्त की नियुक्ति भी की है ।

तटीय सुरक्षा की सुनिश्चिति और महाराष्ट्र राज्य में मछुवाही जहाजों के अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण में एकरुपता रखने के उद्देश्य से, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी और मछुवाही नौकाओं को अनुज्ञापन देने की शक्ति केवल एक विभाग को अर्थात् मत्स्यउद्योग विभाग को देना इष्टकर समझा गया है, जैसा कि अन्य तटीय राज्यों और संघ क्षेत्रों में किया जाता है । इसलिये, सरकार, उक्त अधिनियम की धारा २ के खण्ड (झ) में उपबंधित " रजिस्ट्रीकरण अधिकारी " पद की परीभाषा में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ।

महाराष्ट्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा १३ में यथोचित संशोधन द्वारा, राज्य पत्तन संगठन के मुख्य पत्तन अधिकारी के बजाय मत्स्यउद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार को अपिलिय प्राधिकारी के रुप में सशक्त करना इष्टकर समझती है ।

३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ में संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ८) प्रख्यापित किया गया था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई,
दिनांकित ६ जुलाई २०१५।

एकनाथराव खडसे,
मत्स्यउद्योग मंत्री ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १७ जुलाई २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानपरिषद ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.